"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2002—आश्विन 8, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 29 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :—

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2002 है. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

   (दो) यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 49 की उपधारा (7-क क) में शब्द "बारह मास" के स्थान पर शब्द "चौबीस मास" स्थापित किये जाए. **धारा 49 का संशोधन.**

उद्देश्यों तथा कारणों का कथन

1. राज्य शासन द्वारा प्रदेश के कृषकों के व्यापक हित में निर्णय लिया जाकर सहकारी बैंकों का पुनर्गठन द्वारा विभाजन करके समस्त 16 जिलों में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का गठन किया गया. विभाजन की प्रक्रिया के दौरान प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित संचालक मंडल के कार्यकाल समाप्त हो गये. विभाजन की प्रक्रिया के दौरान नये निर्वाचन कराए जाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए विद्यमान निर्वाचित संचालक मंडलों के कार्यकाल वर्ष 2001 में छ: छ: माह के लिए दो बार बढ़ाये गए. इस प्रकार कुल वृद्धि 12 माह तक की कालावधि के लिए की जा चुकी है.

2. चूंकि विभाजन की कार्यवाही अब भी प्रक्रियाधीन है और इसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक है. शासन की मंशा है कि इन सहकारी बैंकों से सम्बद्ध सोसाइटियों के विद्यमान संचालक मंडलों को ही कार्य करने दिये जायें. इसलिए यह आवश्यक है कि संचालक मंडल के कार्यकाल में वृद्धि किये जाने की राज्य शासन की विद्यमान शक्ति जो 12 मास तक के लिए है को बढ़ाकर 24 मास तक के लिए किया जा सके. अत: लोकहित में तथा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से यह संशोधन लाया गया है.

3. विधान सभा सत्र चालू न रहने के कारण उपरोक्त उद्देश्य के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश 2002 (क्रमांक 6 सन् 2002) जारी किया गया था. अब उसके स्थान पर यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, जो उक्त अध्यादेश 2002 का स्थान लेगा. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक 25 सितम्बर, 2002

प्रेमसाय सिंह
भारसाधक सदस्य

उपाबंध

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

धारा 49 (7 एए/कक) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें कथित किये जाने वाले कारणों से, किसी सोसाइटी या किसी वर्ग की सोसाइटियों की समिति का कार्यकाल समय-समय पर बारह मास से अनधिक की कुल कालावधि तक के लिए बढ़ा सकेगी.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.